संख्या–1142 /छत्तीस–2–13–10/2010

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त,
   उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

श्रम अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 08 नवम्बर, 2013

विषय :– भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सेवायोजकों /ठेकेदारों तथा श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में।

महोदय,

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो से संबंधित सेवायोजकों /ठेकेदारों तथा श्रमिको का पंजीकरण कराने एवं सेवायोजको द्वारा निर्माण कार्यो (संलग्नक–1) की कुल लागत की एक प्रतिशत धनराशि सेस के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है। उक्त सेस की धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिको के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं (संलग्नक–2) हेतु किया जाना है।

2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में योजित श्रमिकों के पंजीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सापेक्ष सेस की धनराशि का उपयोग नही हो पा रहा है। श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओ में सेस की धनराशि का उपयोग न होने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा लम्बित जनहित याचिका में दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाना है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत निर्माण श्रमिको के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पात्र 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी निर्माण श्रमिक जिनके द्वारा पंजीकरण के समय विगत 12 महीनों में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया हो, का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाय।

पंजीकरण के कार्यो में गतिशीलता प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जाय:–

1. श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय से निर्माण श्रमिक निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते है।
2. पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो, आयु प्रमाण–पत्र निर्माण श्रमिक के रूप में विगत 12 महीनों में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।
3. श्रमिक पंजीकरण शुल्क रू0 50/– तथा एक वर्ष का अंशदान रू0 50/– जमा कर पंजीकरण संख्या सहित पहचान पत्र प्राप्त करेंगे।
4. निर्माण श्रमिको को प्रत्येक वर्ष रू0 50/– अंशदान जमा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित की जानी होगी।
5. प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में योजित होने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु श्रमिको के पंजीकरण कार्य को विशेष अभियान चलाकर एक पक्ष के अंतर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य हेतु शहरो/नगरो में श्रमिक अडडों पर विशेष कैम्प आयोजित किये जाय। इसके अतिरिक्त शासकीय निर्माण तथा निजी ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिको का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो से संबंधित ठेकेदारो द्वारा समस्त निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जायेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियो (यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि एवं अन्य शासकीय निर्माण एजेन्सी) द्वारा निविदा तथा संविदा अनुबंध में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन कार्य का समावेश किया जायेगा तथा इसकी पुष्टि भी सक्षम अधिकारियों द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यो की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति आदेश में भवन निर्माता/ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन की अनिवार्यता का भी समावेश किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माणकर्ता/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सूची स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। समय–समय पर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माण/कार्य स्थल का निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है अथवा नहीं।

5. निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार एवं निर्माण श्रमिकों का शत् प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने का दायित्व जनपद स्तर पर तैनात श्रम विभाग के अधिकारियों का होगा।
6. सेवायोजक/ठेकेदार द्वारा यदि पंजीकरण कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में कार्य आवंटन हेतु उन्हें अपात्र घोषित किया जाय।
7. पंजीकरण एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।
8. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या –1142 (1)/छत्तीस–2–13–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
2. समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहा0 श्रमायुक्त, उ0प्र0
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, समस्त शासकीय निर्माण एजेन्सी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।